



2026:AHC:178917

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29849 वर्ष 2026

सम्मेलन साहनी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : मिश्रा विकास कुमार प्रभुनाथ, राम कृष्ण दीक्षित
विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सिंह ने आज न्यायालय में अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा विकास कुमार प्रभुनाथ, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री मनोज कुमार सिंह को सुना गया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन अपराध संख्या 152 सन् 2026, धारा 103(1), 191(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, थाना सिकरीगंज, जनपद गोरखपुर में पंजीकृत प्रकरण में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तथापि प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में चार अन्य व्यक्तियों के साथ अंकित है, किंतु सभी अभियुक्तों की सामान्य भूमिका बताई गई है और यहाँ तक कि यह भी विशेष रूप से नहीं बताया गया है कि उनमें से किसके पास कौन-सा हथियार था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मामले के संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के उपरांत सह-अभियुक्त रामबदन सहानी, जिसका नाम भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित था, को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा उसका जमानत आदेश वाद-पत्र की पत्रावली के पृष्ठ-56 पर संलग्न है और आवेदक का मामला उसके समान है।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, किंतु वह मामला लघु अपराध से संबंधित है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक 01.06.2026 से जेल में है।
7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
9. हालाँकि, आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है, किंतु इससे यह परिलक्षित होता है कि सभी अभियुक्तों की केवल सामान्य भूमिका बताई गई है। इससे यह भी परिलक्षित होता है कि अभियोजन के किसी भी साक्षी ने किसी भी अभियुक्त के संबंध में यह नहीं बताया है कि उसके पास कौन-सा हथियार था।
10. इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्त रामबदन सहानी, जिसका नाम आवेदक के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित था, को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है।
11. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, किंतु वह मामला लघु अपराध से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदक 01.06.2026 से जेल में है।
12. अतः, ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी दृष्टि में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. आवेदक- सम्मेलन साहनी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उपर्युक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

15. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

24 अगस्त, 2026

ए.के पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।